न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्र.सं. 31 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 73

1. रेणुदेवी पत्नी श्री रघुवीरप्रसाद जाति सुथार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज। —:वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र श्री परमाराम जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
2. कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमान जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
3. कृष्णलाल पुत्र श्री परमाराम जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
4. गीतादेवी पत्नी श्री जगदीश जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
5. चन्द्रावली पुत्री गहना जाति कुम्हार साकिन रामांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
6. धनराज पुत्र परमाराम जाति जाति कुम्हार साकिन रामांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
7. भजनलाल पुत्र श्री परमाराम जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
8. शंकरलाल पुत्र श्री परमाराम जाति कुम्हार साकिन 2 जी.एम.बी. घड़साना तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज.।
9. हंसराज पुत्र श्री परमाराम जाति कुम्हार साकिन रामांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 01.04.2024

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री राजेश धारणियां अधि. वादी।
2. श्री अजय धारणियां प्रति.सं.. 1 ता 4–6–9।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक : 26.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी चक 63 आरबी ए. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073–2076 खतोनी सं. 16 / 18 मु.नं. 21 पं.सं. 177 / 267 की 1.392 है. नहरी बारानी भूमि व मु.नं. 20 पं.नं. 178 / 267 की 4.960 है. नहरी बारानी कुल तादादी 6.352 है. नहरी बारानी (3.138 नहरी, 3.214 बारानी) वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की खातेदारी भूमि है जिसमें वादिया का 395 / 1588 हिस्सा भूमि हैं। मुझ वादिया के नाम से उक्त खाता की 395 / 1588 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो यह भूमि वादीया ने जरिये बैयनामां दिनांक 08.0[illegible] कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमान जाति कुम्हार साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर से नहरी भू[illegible] हुई है जिसकी पानी की बारी भी वादीया के नाम से बंधी [illegible] के भूमि है जिसका वादिया ने खरीद के रोज से ही ज[illegible] बयनामा / शपथ [illegible] दिनांक 08.0[illegible]2022 के [illegible] भूमि जो बांट में मिली हुई है जो घरेलु बंटवारा निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

(क) वादिया रेणुदेवी के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक 63 आरबीए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 1/0.228, 11/0.253, 19/0.024, कुल 0.505 है., व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 के कि.नं. 6/0.253, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253, 16/2 में 0.063 है. कुल 1.075 हे. दोनों मुरब्बों की कुल 1.580 है. नहरी भूमि कबज काश्त में है।

(ख) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 शेष नहरी बारानी भूमि को अपने-अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है। उक्त भूमि वादिया द्वारा नहरी भूमि खरीद की हुई है तथा उक्त खरीद की गई 1.580 है. भूमि की पानी की पर्ची भी वादिया के नाम से बंधी हुई है तथा पूर्व मालिक लूणाराम के नाम उक्त भूमि में अपने नहरी हिस्सा के साथ-साथ दान-पत्र व जरिये बैयनामा नहरी भूमि मिली हुई थी जिनके दस्तावेज दान-पत्र व बैयनामा संलग्न है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की होने व उक्त खाता में नहरी बारानी दोनों भूमि होने के कारण वादिया को अपनी नहरी भूमि का लगान, आबियाना इत्यादि जमा करवाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वादिया ने प्रतिवादीगण को अपने-अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने व विभाजन करवाने के लिए बमुकाम कीकरवाली/रामांवाली/2 जी.एम.बी. में दिनांक 26.03.2024 को उक्त कब्जा काश्त के अनुसार वादिया की नहरी भूमि का विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होने समय का अभाव बतलाते हुए सहमति से खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया जो यही तारीख विनाय मुखास्मत हैं तथा विनाय दावा वादिया को उक्त भूमि उसके खरीद के रोज से लेकर उक्त बांट अनुसार काबिज होने के रोज से प्राप्त है। कि वादिया उकत भूमि का ब्राहमी बंटवारा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने तथा उसी अनुसार वादिया अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अलग अमल दरामद करवाने की विधिक अधिकरी है। यह कि वाद वादिया भूमि विभाजन हेतु अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा अंदर मियाद व उचित न्यायशुल्क पर पेश है कि भूमि का मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फैसला एवं डिक्री सादिर फरमाया जावे। कि चक 63 आर.बी.ए. तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सं. 16/18 मु.पं. 21 पं.नं. 177/267 की 1.392 है. नहरी बारानी भूमि व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 की 4.960 है. नहरी बारानी कुल तादादी 6.352 है. नहरी बारानी (3.138 नहरी, 3.214 बारानी) भूमि में वादिया की 395/1588 हिस्सा नहरी भूमि जिसका बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 5 की उपमद संख्या (क) में दर्शाया गया है के अनुसार वादिया का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किए जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। कि पारित किए जाने डिक्री वादिया की भूमि चक 63 आरबीए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 1/0.228, 11/0.253, 19/0.024, कुल 0.505 है., व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 के कि.नं. 6/0.253, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253, 16/2 में 0.063 है. कुल 1.075 हे. दोनों मुरब्बों की कुल 1.580 है. नहरी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अलग विभाजन नामान्तरण दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम पारित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 4-6-9 की तरफ से श्री अजय धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा में अंकित किया है कि वादीया 395/1588 हिस्सा के साथ-साथ हम प्रतिवादी सं.1 अमीलाल का 33/794 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र हनुमान का 219/794 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 कृष्णलाल पुत्र परमाराम का 53/6352 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 सीतादेवी का 253/6353 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 6 ... का 53/6352 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 हंसराज का 53/6352 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस तरह रेणुदेवी ने लिखा है कि कि.नं. 19 में रेणुदेवी के पास 0.012 है तथा कि.नं. 20/2 में 0.012 है. अन्य किलाजात रेणुदेवी के कब्जा काश्त में होना स्वीकार है तथा उपमद संख्या में हम प्रतिवादीगण का बंटवारा निम्न प्रकार है। (क) प्रतिवादी अमीलाल के संयुक्त कब्जा काश्त में चक 63 आरबीए तहसील रायसिंहनगर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

मु.न. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 19 में 0.115 है. नहरी, 23/2 में 0.076 है. नहरी, 20/2 में 0.051 है., 11 में 0.012 है. नहरी कुल 0.254 है. नहरी भूमि कब्जा काश्त में है। (ख) प्रतिवादीगण अमीलाल, कृष्णलाल, धनराज, भजनलाल, शंकरलाल, हंसराज के संयुक्त कब्जा काश्त में चक 63 आरबी ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 23/1 में 0.177 है. बारानी, 20/1 में 0.099 है. बारानी भूमि कुल 0.276 है. बारानी भूमि संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में है।(ग) प्रतिवादी कृष्णलाल पुत्र हनुमान के कब्जा काश्त में चक 63 आरबीए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 19 में 0.025 है. नहरी, कि0नं. 20/1 में 0.091है. बारानी भूमि व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 के कि.नं. 21/0.228 है. बारानी, 22 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. बारानी, कि.नं. 16/1 में 0.164 है. बारानी, 17–18–19 प्रत्येक में 0.253 है. बारानी , 20 में 0.228 है. बारानी, 11 में 0.125 है. बारानी कुल 2.632 है. नहरी बारानी भूमि कब्जा काश्त में है।(घ) प्रतिवादिया गीतादेवी पत्नी जगदीश के कब्जा काश्त में चक 63 आरबीए तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 177/267 मु. नं. 21 के कि.नं. 21 में 0.253 है. नहरी भूमि कब्जा काश्त में है। वादिया द्वारा बिनाय मुखास्मत हासिल करने के लिए लिखी है हम प्रतिवादीगण हमारे व वादिया के कब्जा काश्त की उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन करवाने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहे है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिया के उपरोक्त कि.नं. नं. 19 में 0.024 है. की बजाय 19 में 0.012 है., 20/2 में 0.012 है. शेष किला बदस्तुर के अलावा हम प्रतिवादीगण की बांट अनुसार हम प्रतिवादीगण का भी खाता विभाजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5–7 ता 8 हाजिर नहीं आयें। वादी एवं प्रति सं. 1 ता 4 व 6–9 के अधिवक्ता ने सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निवेदन किया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर पर विवादग्रस्त भूमि चक 63 आरबी ए. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073–2076 खतौनी सं. 16/18 मु.नं. 21 पं.सं. 177/267 की 1.392 है. नहरी बारानी भूमि व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 की 4.960 है. नहरी बारानी कुल तादादी 6.352 है. नहरी बारानी (3.138 नहरी, 3.214 बारानी) खातेदारी भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2025/306 दिनांक 19.03.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/2045 दिनांक 28.04.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 63 आर.बी.ए. के खाता संख्या 16 मु.नं. 20, 21 की कुल 6.352 है. नहरी/बरानी [illegible] भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी [illegible] प्रस्तुत किया।

1. रेणू पत्नी रघुवीरप्रसाद जाति सुथार साकिन [illegible] चक 63 आरबी ए के मु. नं. 21 प.नं. 177/267 [illegible] 0.226, [illegible]/0.024, कुल 0.505 है., व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 के कि.नं. [illegible]0.253, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253, 16 में 0.063 है. कुल 1.075 है. दोनों मुरब्बों की कुल 1.580 है. नहरी भूमि कब्जा काश्त में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

2. अमीलाल 0.264है., कृष्णलाल 0.053 है., धनराज 0.053है., भजनलाल 0.053 है. शंकरलाल 0.053है., हंसराज 0.053है. पि. परमाराम, कृष्णलाल पुत्र हनुमान 2.632 है., गीतादेवी पत्नी जगदीश 0.253है., चन्द्रावली पुत्री महना 1.358 है., जाति कुम्हार साकिन किकरवाली खातेदार रहन हि. भजनलाल एसबीआई शाखा कीकरवाली चक 63 आरबी ए के मु.नं. 21 कि.नं. 19/.128, 20/1 में 0.190 है. बारानी, 20/2 में 0.063 है. नहरी, 21/0.253 है. नहरी, 23/1 में 0.177है. बारानी, 23/2 में 0.076 नहरी कुल 0.520है. नहरी, 0.367है. बारानी व मु.नं. 20 कि.नं. 8 ता 9 में 0.506 है. नहरी, 10/0.228 है. बारानी, 11/0.228 है. बारानी, 12 ता 13 में 0.506 है. नहरी 16/1 में 0.164 है. बारानी, 16/2 में 0.026 है. नहरी, 17 ता 19 में 0.759 है. बारानी, 20/0.228 है. बारानी 21/0.228है. बारानी, 22 ता 25/1.012 है. बारानी (1.038 है. नहरी व 2.847है. बारानी) कुल 4.772 है

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चाक विवादग्रस्त भूमि चक 63 आर.बी.ए. के खाता संख्या 16 मु.नं. 20, 21 की कुल 6.352 है. नहरी/बरानी खातेदारी भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. रेणू पत्नी रघुवीरप्रसाद जाति सुथार साकिन कीकरवाली चक 63 आरबी ए के मु.नं. 21 पं.नं. 177/267 के कि.नं. 1/0.228 नहरी, 11/0.253 नहरी, 19/0.024 नहरी, कुल 0.505 है नहरी., व मु.नं. 20 पं.नं. 178/267 के कि.नं. 6/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 14/0.253 नहरी, 15/0.253 नहरी, 16 में 0.063 है. नहरी, कुल 1.075 है. दोनों मुरब्बों की कुल 1.580 है. नहरी भूमि कब्जा काश्त में है।
2. अमीलाल 0.264है., कृष्णलाल 0.053 है., धनराज 0.053है., भजनलाल 0.053 है. शंकरलाल 0.053है., हंसराज 0.053है., पि. परमाराम, कृष्णलाल पुत्र हनुमान 2.632 है., गीतादेवी पत्नी जगदीश 0.253है., चन्द्रावली पुत्री महना 1.358 है., जाति कुम्हार साकिन किकरवाली खातेदार रहन हि. भजनलाल एसबीआई शाखा कीकरवाली चक 63 आरबी ए के मु.नं. 21 कि.नं. 19/128 नहरी, 20/1 में 0.190 है. बारानी, 20/2 में 0.063 है. नहरी, 21/0.253 है नहरी, 23/1 में 0.177है. बारानी, 23/2 में 0.076 नहरी कुल 0.520है नहरी, 0.367है. बारानी व मु.नं. 20 कि.नं. 8 ता 9 में 0.506 है. नहरी, 10/0.228 है. बारानी, 11/0.228 है. बारानी, 12 ता 13 में 0.506 है. नहरी 16/1 में 0.164 है. बारानी, 16/2 में 0.026 है नहरी, 17 ता [illegible] में 0.759 है. बारानी, 20/0.228 है. बारानी 21/0.228है. बारानी, [illegible] 25/1.012 है. बारानी (1.038 है. नहरी व 2.847है. बारानी) [illegible] कमाण्ड/अनकमाण्ड तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। बंटवारा रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner